


एकल-पाठ  
डॉ० महेन्द्र लोढा, सदस्य

दिनांक:- 15/7/15

वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाजें लगवायी गयी। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। पत्रावली अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(महेन्द्र लोढा)  
सदस्य